पत्रांक /आयु0क0उत्तरा0/धारा–57–अनुभाग/वाणि0कर/2013–14/देहरादून ।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक 2? जुलाई ,2013

प्रार्थना पत्र संख्या –618/16–04–2013
सर्वश्री वैली होटल एण्ड रिसोर्टस, खसरा नं0 1011/2
सेन्ट्रल होप टाउन, सेलाकुई ,देहरादून।

उपस्थिति – श्री राजेश गुप्ता, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एवं श्री दीपक रावत,एडवो0
निर्णय का दिनांक – जुलाई ,2013

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री वैली होटल एण्ड रिसोर्टस, सेलाकुई द्वारा प्रस्तुत धारा–57 के प्रार्थना पत्र में इस तथ्य को स्पष्ट किए जाने हेतु प्रार्थना की गई है कि दिनांक 01–07–2012 से विज्ञप्ति सं0 24/2012–एस.टी.दिनांक 06–06–2012 से रैस्टोरेन्ट में खाने की जो भी बिक्री की जाती है, उसके 40 प्रतिशत भाग पर सर्विस टैक्स का प्रावधान कर दिया गया है। इसप्रकार इस 40 प्रतिशत भाग पर 13.5 प्रतिशत वैट लग रहा है, साथ ही सर्विस टैक्स का आरोपरण हो रहा है, जिस कारण से यह दोहरा करारोपण हो रहा है। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित अधिनियम, 2005 के नियम–14 में कार्य संविदा के सम्बन्ध में करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण हेतु Labour charges, charges for planning, designing & Architect fee etc. जैसी मद जो लेबर अथवा सेवा से सम्बन्धित है, को संविदी द्वारा किए गए भुगतान में से कम किये जाने के उपरान्त शुद्ध टर्नओवर पर कर आरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से रेस्टोरैन्ट के बिल में से उस भाग जिस पर सेवा कर का आरोपरण हो रहा है, कम किए जाने के उपरान्त शेष धनराशि पर वैट का आरोपण होना चाहिए। अतः धारा–57 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रार्थना पत्र में इस सम्बन्ध में स्पष्ट किए जाने की प्रार्थना की गई।

व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून सम्भाग, देहरादून से आख्या प्राप्त की गई। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून द्वारा अपनी आख्या में वैट अधिनियम की धारा–2(42) में बिक्री मूल्य को देते हुए यह अंकित किया गया है कि इस परिभाषा में " Sale Price " अथवा करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण में मात्र discount, freight, installation and VAT की धनराशि को कम किया जाना है, वह भी तब जब वह बिल में प्रथक रुप से प्रदर्शित की गई हो। अधिनियम में कहीं भी करयोग्य टर्नओवर के निर्धारण में सर्विस के दायरें में आने वाली धनराशि को कम करने का प्रावधान नहीं किया गया हैं। आख्या में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सर्विस टैक्स विज्ञप्ति सं0–24/2012 दि0 06–06–2012 के अवलोकन पर यह तथ्य प्रकाश में आता है कि

पत्र संख्या: 6/ए/3?
आवश्यक कार्यवाही करें
3502
ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर देहरादून सम्भाग, देहरादून

उक्त विज्ञप्ति में भी वर्क कॉन्ट्रेक्ट को रैस्टोरैन्ट अथवा कैटरिंग सर्विसेज से अलग माना गया है और इसकेलिए Rule-2C में अलग से प्रावधान किए गए हैं। अतः आख्या में यह अंकित किया गया है कि रैस्टोरेन्ट में जारी किए गए बिल की सम्पूर्ण धनराशि पर मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर का दायित्व आकर्षित होता है।

धारा–57 की सुनवाई हेतु नोटिस भेजे जाने पर श्री राजेश गुप्ता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं श्री दीपक रावत, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। धारा–57 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई गई है। सुनवाई के समय प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों को दोहराया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तथ्यों का अवलोकन किया गया।समस्त बिन्दुओं पर विचार करने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी रैस्टोरेन्ट में कोई ग्राहक जो भी खाने/पीने की वस्तु का आदेश करता है तो वह ग्राहक उसके निर्धारित मूल्य के आधार पर कीमत अदा करता है। इससे स्पष्ट है कि वास्तव में ग्राहक द्वारा जो भी वस्तु ली जाती है उसकी सम्पूर्ण धनराशि वस्तु की कीमत के रुप में अदा की जाती है। किसी वस्तु पर सर्विस टैक्स लग जाने का अर्थ यह नहीं है कि उस पर वैट नहीं लगेगा। वास्तव में किसी वस्तु पर वैट समस्त बिक्री के मानको को देखते हुए आरोपणीय है तथा रैस्टोरेन्ट में किसी भी ग्राहक द्वारा मंगाए गए भोजन की जो कीमत अदा की जाती है, वह सम्पूर्ण भोजन के लिए होती है अन्य किसी प्रकार की सेवा के लिए नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय K.Damodarasamy Naidu And Bros Vs. State Of T.N [2000] 117 STC 1[1999] में निम्नलिखित तथ्यों को इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है :–

In our view, therefore, the price that the customer pays for the supply of food in a restaurant cannot be split up as suggested by learned counsel. The supply of food by the restaurant owner to the customer though it may be a part of the service that he renders by providing good furniture, furnishing and figure linen, crockery and cutlery, music a dance floor and floor show, is what is the subject of the levy. The patron of a fancy restaurant who orders a plate of cheese sandwiches whose price is shown to be Rs. 50.00 on the bill of fare knows very well that the innate cost of the bread, butter, mustard and cheese in the plate is very much less, but he orders it all the same. He pays Rs. 50.00 for its supply and it is on Rs 50.00 that the restaurant owner must be taxed.

इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी बिल की सम्पूर्ण राशि को करयोग्य माना है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि किसी रैस्टोरेन्ट में किसी ग्राहक द्वारा जो भी बिल अदा किया जाता है, उस बिल की सम्पूर्ण राशि पर उत्तराखण्ड वैट अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कर देय होगा। व्यापारी द्वारा जिस राशि पर "सेवा कर" अदा किया गया है, वह करदेयता निर्धारित करने में बिल की राशि में से कम नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार धारा–57 के अन्तर्गत दिए गए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। विनिश्चय/आदेश की एक प्रति आवेदक व्यापारी एवं एक प्रति सम्बन्धित करनिर्धारक अधिकारी को भेजी जाए।

(सौजन्या)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 1913 /दिनांक : उक्त :

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन, देहरादून/कुमॉऊ जोन, रुद्रपुर।
4– एडिशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।
5– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियॉ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
7– ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, हरिद्वार/रुद्रपुर।
8– डिप्टी0कमि0(क0नि0)–7वाणिज्य कर, विकास नगर, को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन.आई.सी.,सचिवालय परिसर,दे0दून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेबसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
10– संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
11– नैशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
12– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
13– लॉ प्रब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
14– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
15– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड ।